न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-178RAAJodhpur2024-75RTA223 Rajkumar ors Vs Shrawanlal etc

01. राजकुमार पुत्र धोकलराम जाति मेघवाल
02. संतोष पुत्र धोकलराम, जाति मेघवाल
03. मुन्नी पुत्री धोकलराम जाति मेघवाल
04. अनु पुत्री धोकलराम जाति मेघवाल
05. शारदा पत्नी धोकलराम जाति मेघवाल
सभी निवासीगण- पीपाड़ शहर, हाल निवासी- गली नंबर 4 बी, प्लॉट नंबर 170, मोहन नगर-ए, बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
06. बद्रीनारायण पुत्र घेवराम, जाति मेघवाल, निवासी- पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. श्रवणलाल पुत्र मंगलाराम, जाति सरगरा, निवासी- मेघवालों का बास, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. कानाराम पुत्र सुखाराम जाति सांसी, निवासी- सांसीयों का बास, बोयल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. सुखराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल
4. भंवरीदेवी पुत्री तुलछाराम जाति मेघवाल
5. गजराई पत्नी शेषाराम जाति मेघवाल,
6. नरेन्द्र पुत्र शेषाराम, जाति मेघवाल,
7. मनीष पुत्र शेषाराम, जाति मेघवाल
8. अविनाश पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल
9. ललित पुत्र चम्पालाल, जाति मेघवाल
10. पवन पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल
11. राजेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल
12. जितेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल
13. मुन्नालाल पुत्र चम्पालाल जाति मेघवाल
14. भंवरी देवी पत्नी चम्पालाल जाति मेघवाल
सभी निवासीगण- मेघवालों का बास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
15. शांति पत्नी सोहनलाल जाति मेघवाल
16. अनिल पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल
17. सरोज पुत्री सोहनलाल जाति मेघवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18.शर्मिला पुत्री सोहनलाल जाति मेघवाल
सभी निवासीगण- मेघवालों का बास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
19.सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 मई 2024 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 10/2014 श्रवणलाल व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या उन्नीस
शेष **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

नि र्ण य

दिनांक : 16 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 10/2024 अनवान श्रवणलाल व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 31 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2610 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नं. 2611 रकबा 14.06 बीघा ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 मई 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी अनुसार पक्षकारों की साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किये बिना केवल वादीगण भूमि का बंटवाड़ा करना चाहते है, लिखकर बंटवाड़े बंटवाड़े की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जो आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वार पक्षकारों का हिस्सा तय किये बिना बंटवाड़े की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। प्रतिवादी संख्या चार से सत्रह की ओर से जवाबदावा पेश किया जाकर वादी के वाद को अस्वीकार किया गया है तथा कथन किया गया कि पर्चा लगान प्रदर्श-डी-2, खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श डी-3ए, नामांतरकरण संख्या 551 प्रदर्श-डी5, बीगोड़ी रसीदात् प्रदर्श डी- 15ए के मुताबिक वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट के पहले प्रतिवादीगण के पूर्वज घेवरराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है। सन् 1969 में गलत नामांतरकरण संख्या 551 के द्वारा घेवरराम के साथ तुलछाराम का नाम दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण संख्या 551 की वैधता पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 133 एवं राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलिखित) नियम 1957 के अनुसार अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर न तो म्यूटेशन भरा जा सकता है तथा न ही अपंजीकृत दस्तावेज से अधिकारों का सृजन हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर न तो तनकीयात कायम की तथा न ही काउंटर क्लेम पर निर्णय पारित किया, सीधे ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर तहसीलदार से पक्षकारों के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का आदेश पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 मई 2024 को अपास्त फरमाया जावे

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वर्तमान में जमाबंदी में पक्षकारान् के हक-हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में स्पष्ट किया है कि अंतिम डिक्री पारित करते समय मामले का तनकीवार विवेचन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम के आधार पर मामले में वादी एवं प्रतिवादीगण की जिम्मेदारी तय करते हुए तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते वक्त उक्त तनकीयात को निर्णित किये बिना तथा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम पर निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मत है कि मामले का तनकीवार विवेचन बाद विभाजन प्रस्ताव किया जायेगा, जो विधिसम्मत नहीं होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से अदालत हाजा उक्त मत से सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम पर निर्णय पारित किये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवचेन नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 10/2024 अनवान श्रवणलाल व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 मई 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए वाद एवं काउंटर क्लेम का विधिनुसार पुनः निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09 जनवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर